पत्रांक :12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017.......737/वि०

झारखण्ड सरकार

<u>योजना–सह–वित्त विभाग</u>

<u>(वित्त प्रभाग)</u>

राँची, दिनांक :27.3.18

<u>संकल्प</u>

विषय : सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को अनुमान्य विभिन्न भत्तों के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 तथा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि० दिनांक 18.01.2017 के द्वारा अनुमान्य किया है।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को :–

(क) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के द्वारा चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता अनुमान्य किया गया है।

(ख) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 103/पें० दिनांक 27.03.2010 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को सरकारी सेवकों के अनुरूप चिकित्सा भत्ता रूपये 300 प्रतिमाह अनुमान्य किया गया है।

(ग) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3336/वि० दिनांक 17.09.2014 के द्वारा स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों को एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर को संशोधित किया गया है।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 की कंडिका–9 में स्पष्ट किया गया है कि :–

"केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न भत्तों पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता पर विचार किया जायेगा।"

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के गजट संख्या 169 दिनांक 06.07.2017 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को देय अनुमान्य विभिन्न भत्तों को स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक 21/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 द्वारा परिवहन भत्ता, पत्रांक 2/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 के द्वारा मकान किराया भत्ता तथा पत्रांक 19030/1/2017-E.IV दिनांक 13.07.2017 के द्वारा यात्रा भत्ता के विभिन्न दरों को अधिसूचित किया गया है। पत्रांक 12(4)/2016-E.III A दिनांक 07.07.2017 द्वारा परिवार नियोजन भत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों को सामान्य

Sukhdev 27/3

कोटि के भत्ते यथा; नियत चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता एवं राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के नियत चिकित्सा भत्ता के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. भारत सरकार के द्वारा लागू की गई विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दरों के अनुरूप राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को नियत चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है :-

I. **परिवार नियोजन भत्ता (FPA)** :- परिवार नियोजन भत्ता की अनुमान्यता को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाय।

II. **नियत चिकित्सा भत्ता (FMA)**:- सरकारी सेवकों को नियत चिकित्सा भत्ता रूपये 1000/- प्रतिमाह अनुमान्य किया जाय।

III. **मकान किराया भत्ता (HRA)** :-

(क) X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता क्रमशः मूल वेतन के 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत के आधार पर अनुमान्य किया जाय।

(ख) परन्तु मकान किराया भत्ता X श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 24 प्रतिशत, Y श्रेणी (5 लाख से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 16 प्रतिशत और Z श्रेणी (5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए 8 प्रतिशत की दर से अनुमान्य होगा, जो क्रमशः रूपये 5400/- प्रतिमाह, रूपये 3600/- प्रतिमाह और रूपये 1800/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

IV. **परिवहन भत्ता** :- सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता निम्नरूपेण अनुमान्य किया जाय :-

Employees drawing pay in pay level	Rates of Transport Allowance per month	
	Employees posted in 'X' Cities	Employees posted in 'Y' Cities
9 and above	Rs. 7200 + DA thereon	Rs. 3600 + DA thereon
3 to 8	Rs. 3600 + DA thereon	Rs. 1800 + DA thereon
1 and 2	Rs. 1350 + DA thereon	Rs. 900 + DA thereon

उक्त भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत भुगतेय होगा :-

(क) वैसे सरकारी सेवक जो सरकारी वाहन का उपयोग करते हैं, अथवा जिन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

Sukhdev 27/3

(ख) एक कैलेण्डर महीना (लगातार 30 दिन) के अवकाश पर रहने की स्थिति में परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि में परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) सरकारी कार्य से यदि कोई सरकारी सेवक एक कैलेण्डर महीना तक मुख्यालय/पदस्थापन कार्यालय से बाहर रहते हैं, तो उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। यदि कोई सरकारी सेवक एक महीने से कम अवधि के लिए सरकारी कार्य से मुख्यालय/पदस्थापन कार्यालय से बाहर रहते हैं, तो उन्हें पूरे महीने का परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(ङ) कर्त्तव्य अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि में, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(च) अगर कोई सरकारी सेवक पूर्ण कैलेण्डर महीने तक की अवधि में क्षेत्र भ्रमण/परिक्षण/सर्वेक्षण के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग करते हैं तथा दैनिक भत्ता का भुगतान भी प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(छ) यदि सरकारी सेवक निलम्बन के दौरान मुख्यालय/पदस्थापन कार्यालय में प्रति कार्यदिवस उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो उन्हें परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(ज) शारीरिक रूप से विकलांग (यथा Visually impaired, Orthopaedically handicapped, deaf and dumb/ hearing impaired, spinal deformity) सरकारी सेवक को पूर्व की भाँति दुगुने दर से परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्त्ते कि वे अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।

(झ) अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित दर से परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

V. <u>**यात्रा भत्ता**</u> : सरकारी सेवकों को यात्रा भत्ता निम्नरूपेण अनुमान्य किया जाय :–

(A) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता

(क) वायुयान से यात्रा (नियम 63)

क्र॰	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 17 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	एक्जेक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
2	Level 13A, 14, 15 एवं 16 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 11, 12 एवं 13 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वायुयान से इकोनोमी श्रेणी में यात्रा की अनुमति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निम्न शर्त्तों के अधीन दी जा सकेगी :– (a) इस प्रावधान का उपयोग अत्यंत ही विशेष परिस्थिति में किया जाय। (b) यात्र व्यय मद में उपबंधित राशि को भी ध्यान

27/3

		में रखा जाय। (c) स्वीकृति आदेश में अत्यंत विशेष परिस्थिति को स्पष्ट किया जाय।

(ख) रेल द्वारा यात्रा {नियम 46(1)}

क्र॰	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 13A एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार होंगे।
2	Level 6 से Level 13 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वातानुकूलित–2 टीयर श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 4 एवं Level 5 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वातानुकूलित–3 टीयर श्रेणी/वातानुकूलित चेयर कार में यात्रा के हकदार होंगे।
4	Level 4 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	शयनयान श्रेणी/सामान्य श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।

नोट : (i) यदि किसी स्थान पर रेल सम्पर्क नहीं है, तो उस मामले में, जिनकी रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित–2 टीयर में यात्रा करने की पात्रता है, उन्हें वातानुकूलित बस द्वारा तथा अन्य सरकारी सेवकों को डीलक्स/सामान्य बस द्वारा यात्रा अनुमान्य होगी।

(ii) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा की अनुमति सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा इस शर्त्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी के रेल किराया से अधिक नहीं हो।

(ग) सड़क से यात्रा (नियम 57) : राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/ट्रेन से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा :–

क्र॰	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 13A एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वातानुकूलित बस सहित सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो/मोनो ट्रेन/बस इत्यादि) के किसी भी प्रकार द्वारा वास्तविक किराया। अथवा वातानुकूलित टैक्सी की निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तविक तौर पर वातानुकूलित टैक्सी द्वारा हुई है। अथवा ऑटोरिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड आदि द्वारा यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा हेतु निर्धारित दरों पर।
2	Level 6 से 13 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	उपर्युक्त (1) के अनुसार इस अपवाद के साथ कि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा यात्रा स्वीकार्य नहीं होगी।
3	Level 4 एवं 5 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वातानुकूलित बस को छोड़कर सार्वजनिक बस के किसी भी प्रकार का वास्तविक किराया।

Sukhdev 27/3

		अथवा ऑटोरिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड आदि द्वारा यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा हेतु निर्धारित दरों पर।
4	Level 4 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	केवल सामान्य सार्वजनिक बस द्वारा वास्तविक किराया। अथवा ऑटोरिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड आदि द्वारा यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा हेतु निर्धारित दरों पर।

अनुमान्य दरें

(i) अपनी कार (AC)/टैक्सी (AC) द्वारा की गयी यात्राओं के लिये – 24 (चौबीस) रूपये प्रति कि०मी०।

(ii) ऑटोरिक्शा/अपने स्कूटर आदि द्वारा की गयी यात्राओं के लिये – 12 (बारह) रूपये प्रति कि०मी०।

(B) (क) दैनिक भत्ता {नियम 69(i)}:

क्र॰	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 14 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	(i) 7500/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर के अन्दर यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1200/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
2	Level 12 से 13A का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	(i) 4500/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक बिना वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1000/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
3	Level 9 से 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	(i) 2250/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 338/– रूपये तक के टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 900/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
4	Level 6 से 8 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	(i) 750/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 225/– रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 800/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।

5	Level 5 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	(i) 450/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 113/– रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 500/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।

नोट : (i) दिल्ली प्रवास के दौरान झारखण्ड भवन द्वारा सामान्यतः आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। झारखण्ड भवन द्वारा यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उक्त सुविधा झारखण्ड भवन से प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अनुमान्य होगी।

(ii) दिल्ली प्रवास के दौरान झारखण्ड भवन में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में झारखण्ड भवन द्वारा अन्य होटल/गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था करने पर उक्त सुविधा अनुमान्य होगी।

(ख) दैनिक भत्ता {नियम 69(i) के बदले में}:

(i) सरकारी सेवक द्वारा सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए निम्न दर से दैनिक भत्ता देय होगा। इसके लिए अभिश्रव इत्यादि प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

क्र॰	ग्रेड वेतन	श्रेणी "X"	श्रेणी "Y"	श्रेणी "Z" एवं अवर्गीकृत
1	Level 14 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	1000	850	700
2	Level 12 से 13A का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	700	600	500
3	Level 9 से 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	500	450	350
4	Level 6 से 8 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी	450	350	250
5	Level 5 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी	250	225	200

(ii) दैनिक भत्ता (B) (क) नियम–69 (i) में वर्णित वेतनमान के आधार पर अनुमान्य दरों का लाभ लेने वाले सरकारी सेवक के लिए उपर्युक्त कंडिका दैनिक भत्ता (B) (ख) नियम (i) में अंकित दैनिक भत्ता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) सरकारी/सार्वजनिक गेस्ट हाऊस का रूम रेन्ट वास्तविक बिल पर चार्ज किया जा सकेगा अगर इसका मूल्य झारखण्ड भवन के रूम रेन्ट रू॰ 20/दिन से अधिक होगा।

(VI) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता :

(क) अनुमान्यता : ऊपर कंडिका–V में यथा उल्लिखित वर्गीकरण के अनुसार अनुमान्य श्रेणी/स्थान संबंधित सरकारी सेवक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। राज्य कर्मियों के बीच सीमित परिवार की धारणा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानान्तरण यात्रा भत्ता सरकारी सेवक के दो आश्रित बच्चों तक ही सीमित रखा जायेगा।

(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88) :

(i) सरकारी सेवकों को स्थानान्तरण की परिस्थिति में स्थानान्तरण अनुदान निम्न दरों के आधार पर अनुमान्य होगा :–

(क) एक जिले के अधीन हुये स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा। मात्र आवास परिवर्त्तन की स्थिति में कंडिका 5 {VI(ग)} के अनुरूप परिवहन राशि अनुमान्य होगी।

(ख) 60 कि०मी० की परिधि में दूसरे जिले में भी हुए स्थानान्तरण पर अनुमान्यता उक्त 'क' के अनुरूप होगी।

(ग) 200 कि०मी० के अन्दर स्थानान्तरण होने पर मूल वेतन के 80% के समतुल्य राशि का एक तिहाई ही स्थानान्तरण अनुदान देय होगा।

(घ) 200 कि०मी० से दूर स्थानान्तरण होने पर मूल वेतन के 80% के समतुल्य राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में देय होगा।

(ii) स्वयं के अनुरोध पर हुए स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) स्थानान्तरण अनुदान के भुगतान के लिए स्थानान्तरित स्थान पर प्रभार लेने की अवधि के छः माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित उपर्युक्त अवधि के बाद स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। संबंधित सरकारी सेवक अपने दावे के साथ पूर्व पद का परित्याग प्रतिवेदन तथा पूर्व कार्यालय द्वारा निर्गत No Dues Certificate अवश्य संलग्न करेंगे।

(ग) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता {नियम 85(iii)} :

क्र॰	ग्रेड वेतन	रेल द्वारा	सड़क द्वारा परिवहन के लिये (प्रति कि०मी० दर)
1	Level 12 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/1 डबल कन्टेनर द्वारा 6000 कि०ग्रा० तक	50.00

2	Level 6 से Level 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/1 सिंगल कन्टेनर द्वारा 6000 कि०ग्रा० तक	50.00
3	Level 5 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	3000 कि०ग्रा० तक	25.00
4	Level 4 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	1500 कि०ग्रा० तक	15.00

नोट :– (i) केवल सड़क मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच उपर्युक्त दर पर व्यक्तिगत सामग्री के परिवहन की सुविधा अनुमान्य होगी।

(ii) यदि सरकारी सेवक द्वारा रेलमार्ग से जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत सामग्री की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है, तो ऐसी ढुलाई पर होने वाला वास्तविक व्यय अथवा मालगाड़ी से संबंधित सरकारी सेवक को अनुमान्य अधिकतम सामग्री की ढुलाई के लिये देय राशि का सवा गुणा, दोनों में जो कम हो, अनुमान्य होगा।

(iii) यह सुविधा वास्तविक रूप से स्थान परिवर्तन होने पर ही अनुमान्य होगी।

(घ) निजी वाहन की ढुलाई {नियम 85(iii) B} :

सरकारी सेवक निम्न अनुसार निजी वाहन की ढुलाई के हकदार होंगे :–

क्र॰	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 6 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	एक मोटरकार/एक मोटर साईकिल/एक स्कूटर
2	Level 1 से Level 5 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	एक मोटर साईकिल/एक स्कूटर/एक मोपेड/एक साईकिल

(a) रेल मार्ग से :–

(i) यात्री गाड़ी से – वास्तविक किराया।

(ii) माल गाड़ी से – पार्सल लागत, बंधाई खर्च, बाँधी गयी कार/मोटर साईकिल को पार्सल घर लाने तथा ले जाने का व्यय, ट्रेन पर चढ़ाने–उतारने का खर्च आदि मिलाकर उपर्युक्त क्रमांक–(i) की अधिसीमा के अंतर्गत।

(iii) कार के परिवहन के लिये निकटतम रेल मार्ग से एक कार चालक के लिये द्वितीय श्रेणी का किराया।

(b) सड़क मार्ग से :–

कार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड :–

क्र॰	यात्रा के साथ	रेलमार्ग से जुड़े स्थान के लिये	रेलमार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिये
1	वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर	वास्तविक खर्च/निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि/सवारी गाड़ी से भेजने का खर्च, जो कम हो।	वास्तविक खर्च (निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि की अधिसीमा के अंतर्गत)

2	जब वाहन चलाकर भेजा जाये	निर्धारित दर पर (सवारी गाड़ी से भेजने की लागत अधिसीमा के अंतर्गत)	निर्धारित दर पर।

नोट :– (i) वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर (जहाँ रेल मार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिए) 12/– रूपये प्रति कि०मी० की दर से अनुमान्य होगा।

(ii) जब वाहन चलाकर भेजा जाये और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन यात्रा कर रहे हों, तो उन्हें वायु/रेल/सड़क यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। अलग यात्रा के लिये यथास्थिति, वायु/रेल/सड़क यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

VII. **सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी सेवकों को अनुमान्य स्थानान्तरण अनुदान :–**

(i) उन सरकारी सेवकों के मामलों में जो अपनी सेवानिवृत्ति पर अपने अंतिम पदस्थापन के स्थान से 20 कि०मी० से अधिक दूर किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं, को मूल वेतन के 80% के बराबर स्थानान्तरण अनुदान देय होगा।

(ii) उन सरकारी सेवकों के मामलों में, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने अंतिम पदस्थापन के स्थान से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर किसी अन्य स्थान/स्थल पर रहने के लिए चले जाते हैं, तो उन्हें मूल वेतन के 80% के एक तिहाई के बराबर राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में देय होगी, बशर्त्ते कि आवास परिवर्त्तन वास्तव में हुआ हो।

(iii) इस सुविधा हेतु संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से छः माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) त्याग–पत्र, पदच्युत, बर्खास्तगी एवं दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा।

(v) वार्धक्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में भी स्थानान्तरण अनुदान कंडिका–(i) एवं (ii) के अनुसार ही देय होगा।

(vi) सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह के अन्दर राज्य सरकार के अंतर्गत संविदा पर पुनर्नियुक्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को स्थानान्तरण अनुदान संविदा पद से सेवा मुक्त होने पर अनुमान्य होगा।

6. देश के अन्दर सेवा सम्पुष्टि के बाद प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति के दौरान यात्रा भत्ता :–

(i) प्रशिक्षण के दौरान आवासन अथवा भोजन में से कोई भी सुविधा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क नहीं उपलब्ध कराये जाने की परिस्थिति में कंडिका–5(V)(B)(ख) में अंकित अनुमान्य दैनिक भत्ता की राशि भुगतेय होगी।

(ii) प्रशिक्षण के दौरान आवासन अथवा भोजन में से कोई एक सुविधा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की परिस्थिति में कंडिका–5(V)(B)(ख) में अंकित अनुमान्य दैनिक भत्ता के 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि भुगतेय होगी।

(iii) प्रशिक्षण के दौरान आवासन एवं भोजन की सुविधा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की परिस्थिति में कंडिका–5(V)(B)(ख) में अंकित अनुमान्य दैनिक भत्ता के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि भुगतेय होगी।

(iv) उपरोक्त अनुमान्यता प्रशिक्षण अवधि के मात्र प्रथम छः माह (180 दिन) के लिए ही भुगतेय होगी।

(v) मुख्यालय क्षेत्र में ही अगर प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है, तो उपरोक्त अंकित भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे।

7. नियत चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं यात्रा भत्ता से संबंधित पूर्व से निर्गत संकल्प/परिपत्र के अन्य प्रावधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

8. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017, संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 तथा संकल्प संख्या 3336/वि॰ दिनांक 17.09.2017 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

9. यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात् सृजित दावों के भुगतान हेतु लागू होगा।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 555/वि॰ दिनांक 12.03.2018 के क्रम में दिनांक 13.03.2018 की बैठक के मद सं॰ 12 में दी गई है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस॰–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 737/वि॰ राँची, दिनांक 27.3.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 737/वि॰ राँची, दिनांक 27.3.18

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev 27/3

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 737/वि॰ राँची, दिनांक 27.3.18

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–12 को सूचना उपलब्ध करावें।

Sukhdev 27/3

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।